

बिहार सरकार

स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

शैलेश कुमार
सरकार के अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

पटना, दिनांक / / 2025

विषय : डा० मो० अली, नेत्र रोग विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, अंधापन नियंत्रण इकाई, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय, जहानाबाद के पेंशन/उपदान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि डा० मो० अली, नेत्र रोग विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, अंधापन नियंत्रण इकाई, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय, जहानाबाद के दिनांक-31.12.2024 को सेवानिवृत्ति के फलस्वरूप इन्हें अनुमान्य पेंशन/उपदान की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) उक्त आदेश इस शर्त के साथ प्रदान किया जाता है कि यदि इनके विरुद्ध किसी बकाया राशि/असमायोजित अग्रिम आदि की वसूली का मामला प्रकाश में आता है तो उसकी वसूली नियमानुकूल की जाएगी।

(3) इस पत्र के साथ निम्नलिखित अनुलग्नक संलग्न हैं :-

- (i) पेंशन प्रपत्र दो प्रति में
- (ii) संयुक्त फोटो
- (iii) हस्ताक्षर का नमूना
- (iv) पारिवारिक सदस्यों की सूची
- (v) सेवा इतिहास
- (vi) वेतन पूर्जा
- (vii) दीर्घकालीन बाकी/बेबाकी प्रमाण-पत्र
- (viii) कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय, भवन प्रमंडल, जहानाबाद द्वारा निर्गत मांग रहित प्रमाण पत्र।

(4) अनुरोध है कि सभी प्रकार के बकाया के संबंध में पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त प्राधिकार पत्र निर्गत करने की कृपा की जाए।

विश्वासभाजन,

ह० / -

(शैलेश कुमार)

सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक-2/पेन-117/2024-

327(2)

पटना, दिनांक 23/12/2025

प्रतिलिपि : अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, जहानाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

साथ ही निदेश दिया जाता है कि डा० मो० अली का विभागीय बाकी/बेबाकी प्रमाण-पत्र सीधे महालेखकार, बिहार को भेजते हुए इसकी सूचना विभाग को भी दी जाय।

प्रतिलिपि : जिला कोषागार पदाधिकारी, जहानाबाद/डा० मो० अली, नेत्र रोग विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी, अंधापन नियंत्रण इकाई, अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी कार्यालय, जहानाबाद पत्राचार का पता-अपना घराना, हारून नगर, सेक्टर-2, पो०+थाना-फुलवारीशरीफ, जिला-पटना, पिन कोड-801505 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकार-03, 09 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई० टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।